रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 1985/श्रावण 23, 1907
N. 393] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 1985/SRAVANA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1985

का.आ. 607(अ):— केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार को, उक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी अपराधों की बाबत अभियोजन की मंजूरी देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फा० सं० II/17017/32/85 आई एस (यू एस. डी-II)]

एम. एल. कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1985

S.O 607(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Unlawful Activities (Prevention, Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby authorises the Additional Chief Secretary, Government of Maharashtra to exercise the power to sanction prosecution in respect of all offences punishable under the said Act

[F. No. II/17017/32/85 IS(U.S.D-II)]

M. L. KOUL, Jt Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1985